

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- cffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2023-24/2046

दिनांक: 23/4/24

निमित्त:-

उप वन संरक्षक

बारां ।

विषय:- पाटरी से भटगांव सडक निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5)

प्रसंग:- आपका पत्रांक 5128 दिनांक 01.04.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र से उप वन संरक्षक बारां ने आलौच्य प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होने के कारण MOEF के परिपत्र 29.01.2018 के अनुसार दण्डात्मक राशि का डिमांडनोट जारी कर दिनांक 31.10.2023 को प्रयौक्ता अभिकरण को आनलाईन प्रेषित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेनल (दण्डात्मक प्रावधान) परिपत्र दिनांक 29.01.2018 को जारी हुआ है तथा उक्त प्रकरण वर्ष 2008 तथा उल्लघन की दिनांक 26.05.2008 है। परिपत्र दिनांक 29.01.2018 से पूर्व का होने के कारण (दण्डात्मक प्रावधान) अनुसार शास्ति आरोपित नही होने के संबंध में आप द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 2043 दिनांक 23.04.2024 से उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित की गई है। क्रम में आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त मार्गदर्शन परिवेश पोर्टल पर ना मांगा जाकर पृथक से पत्र द्वारा मांगा जावें। अतः उक्त निर्देशों के साथ आपको ऑनलाईन प्रस्ताव पुनः लौटाये जा रहे है।

(रामकरण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2023-24/2047

दिनांक: 23/4/24

प्रतिलिपी:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा